## NRRDA-C012 (11)/1/2020-Dir (FA) 370026 National Rural Infrastructure Development Agency Ministry of Rural Department 5<sup>th</sup> Floor, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place New Delhi

## Office Order No. 535

#### Dated 31/05/2021

In pursuance of the provisions contained under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and in suppression of earlier Office Order No. 369 dated 17th January, 2020, the Internal Complaints Committee (ICC) to inquire into complaints of sexual harassment made by the women employees in NRIDA is hereby reconstituted as under: -

i.	Ms Roop Avtar Kaur, Director, MoRD	Presiding Officer
ii.	Shri Rakesh Kumar, Deputy Director (P-III)	Member
iii.	Ms.Nidhi Miglani, Exe. Asstt. (Tech Division)	Member
iv.	Ms. Nirmala Singh, Advocate (Supreme Court)	Member

- 2. The Presiding Officer and member of the ICC shall hold office for a period of three years from the date of issue of the notice or the period of their employment under NRIDA (except for external Members), whichever is less.
- 3. An aggrieved woman employee may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace, to the ICC within a period of three months form the date of the incident as per the provisions laid down in the SHWW (PPR) Act, 2013.
- 4. The Internal Complaints committee shall deal with all such complaints strictly as per the provisions and procedure laid down in the SHWW (PPR) Act, 2013 and SHWW(PPR) Rules 2013.
- 5. The ICC shall in each calendar year submit an annual report to the Director General, NRIDA in terms of Section 21 of the SHWW(PPR) Act, 2013.
- 6. The external Member shall be entitled to the fee for the proceedings and travel cost as per the provisions in SHWW (PPR) Rules, 2013, as amended from time to time

Director (F&A)

To:

Presiding Officer and all Members of the Committee

Copy: (i) All officers and staff member of NRIDA

(ii) Sh.Vijay Ingle, Programmer for uploading on NRIDA website.

# NRRDA-C012(11)/1/2020-Dir (FA)/3700026 राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचम तल, 15-एन.बी.सी.सी. टावर, भीकाजी काम प्लेस नई दिल्ली -110066

दिनांक 31/05/2021

## कार्यालय आदेश संख्या 535

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 में अंतर्निहित प्रावधानों तथा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 369 दिनांक 17 जनवरी 2020 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की महिला कर्मियों की लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाँच हेतु आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन एततद्वारा निम्ननुसार किया जाता है:-

 I.
 सुश्री रूप अवतार कौर, निदेशक MoRD
 पीठासीन अधिकारी

 II.
 श्री राकेश कुमार, उपनिदेशक (पी-III)
 सदस्य

 III.
 सुश्री निधि मिगलानी, कार्य सहायक (तक.)
 सदस्य

 IV.
 सुश्री निर्मला सिंह, अधिवक्ता (सर्वोच्च न्यायालय)
 सदस्य

- 2. पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक अन्य सदस्य इस आदेश के जारी होने के तीन वर्षों तक की अविध अथवा उनके एन.आर.आई.डी.ए. के अंतर्गत सेवाकाल (बाह्य सदस्य के अतिरिक्त), जो भी कम हो, के लिये समिति में रहेंगे।
- 3. पीड़ित महिला कर्मी द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी लिखित शिकायत, SHWW (PPR) अधिनियम 2013 में निर्धारित प्रावधानों के तहत, घटना होने के तीन माह की अविध के भीतर आंतरिक शिकायत समिति को दी जानी है।
- 4. आंतरिक शिकायत समिति द्वारा ऐसी सभी शिकायतों पर SHWW (PPR) अधिनिय, 2013 तथा SHWW (PPR) नियम, 2013 में दिये गये प्रावधानों तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
- 5. SHWW (PPR) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक वार्षिक रिपोर्ट महानिदेशक, एन.आर.आई.डी.ए को प्रस्तुत की जायेगी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किये गये प्रकरणों, यदि कोई हों तो, तथा उनके निवारण का विवरण एन.आर.आई.डी.ए. की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6. बाह्य सदस्य SHWW (PPR) नियम, 2013, समयानुसार संशोधित, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समिति की कार्यवाहियों हेतु शुल्क तथा यात्रा व्यय की पात्र होगी।

Sd/-(दीपक आशीष कौल) निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

पीठासीन अधिकारी तथा अन्य सदस्य

प्रति: (i) एन.आर.आई.डी.ए के सभी अधिकारी तथा कर्मी

(ii) श्री विजय इंगले, प्रोग्रामर को एन.आर.आई.डी.ए. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।